कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर।

संख्या-262/आबकारी दुकान व्यव0/दैनिक आधार /2018-19/जि0आ0अ0/सीतापुर दि0 27.04.2018

* विज्ञप्ति *

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये चतुर्थ चरण के पश्चात अवशेष देशी शराब की फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रसं0-68905-980/दस-लाइसेन्स-362/सुझाव आबकारी नीति/2018-19/ दिनांक:इलाहाबाद 30.03.2018 के अन्तर्गत जनपद सीतापुर की अव्यवस्थित देशी शराब की 83 दुकानों को दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस के आधार पर स्थायी व्यवस्थापन होने तक दिनांक 01.05.2018 से संचालित किया जाना है। उक्त दुकानों हेतु दैनिक आधार पर संचालन सम्बन्धी ऑफर/आवेदन सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 01.05.2018 के पूर्वान्ह 12:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर में प्राप्त किये जायेगें। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जायेगा। इसके पश्चात प्रथम आयत प्रथम पायत के आधार पर ऑफर/आवेदन स्वीकार किये जायेगें। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 हेतु दैनिक न्यूनतम निर्धारित कोटा/बेसिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष, जो भी सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होगा उसके पक्ष में दैनिक आधार पर दुकान का आवंटन कर दिया जायेगा। न्यूनतम निर्धारित एम0जी0क्यू0 से कम का आफर स्वीकार्य नही होगा। ग्रामीण क्षेत्र की समस्त मदिरा दुकानें मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाइवे से 220 मीटर की दूरी पर संचालित की जायेगी। दैनिक आधार पर संचालित की जाने वाली फुटकर देशी शराब दुकानों का वार्षिक कोटा/एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेन्स फीस इत्यादि का विस्तृत विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर जनपद की वेबसाइट www.sitapur.nic.in पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

27/4/18

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

सम्पादक,
दैनिक समाचार पत्र,
हिन्दुस्तान, पायनियर

सादर अनुरोध है कि उपरोक्त आवश्यक सूचना जनहित में न्यूनतम स्थान पर निर्धारित न्यूनतम सरकारी दर पर स्थानीय पृष्ठ पर दिनांक 28.04.2018 को प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

Recd. 27/04/18 (Hin. N.M.V.)

27/4/18

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

Nishant
Pioneer news (27-4-18)